अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 15.07.2014 को प्रखंड/अंचल कार्यालय, सदर, आर0टी0पी0एस0 काउण्टर का किये गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

उपस्थिति :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.07.2014 को अपराह्न 4:45 बजे प्रखंड कार्यालय एवं आर0टी0पी0एस0 काउण्टर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रखंड-सह-अंचल में पदस्थापित प्रखंड प्रौधोगिकी प्रबंधक तथा कार्यपालक सहायक अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित पाए गए। साथ ही प्रखंड/अंचल के सभी लिपिक भी अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित पाए गए।

1. <u>आर0टी0पी0एस0</u>- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2011 से 15.07.2014 तक के प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दाखिल-खारिज के 8427 में से 1241 आवेदन सेवा अवधि के पश्चात् अस्वीकृत किए गए हैं तथा 14 आवेदन समय सीमा पार (Expired) पाए गए। इसी प्रकार इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् प्राप्त 2819 आवेदनों में से 375 आवेदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्राप्त 2436 आवेदनों में से 463 आवेदन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्राप्त 436 आवेदनों में से 55 आवेदन समय सीमा बीत जाने के बाद अस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 60 आवेदन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के 24 आवेदन, दाखिल खारिज के 14 आवेदन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 15 आवेदन, BDPS के 11 आवेदन समय सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित पाए गए। यह स्थिति अत्यन्त ही चिंताजनक है। इसी प्रकार दिनांक 01.04.2014 से 15.07.2014 तक के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि समय सीमा बीत जाने के पश्चात् विभिन्न सेवाओं के लंबित 20 आवेदनों में 14 आवेदन तो दाखिल-खारिज के ही है, जिसका निष्पादन अबतक नहीं किया गया है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर-सह-अपीलीय प्राधिकार, सामाजिक सुरक्षा एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता-सह-अपीलीय प्राधिकारी, RTPS समय सीमा पार (Expired) आवेदनों की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच कर यथा आवश्यक suo-moto अपील दायर कर नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर)

2. <u>रोकड़ पंजी :-</u> सहायक रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि Temporary Advance के रूप में 33308558/-रू0 दर्शाया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। उक्त मद में इतनी अधिक राशि का होना अकुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। Unposted Voucher के रूप में 6917972.15 रू0 का होना निधि के विचलन को प्रदर्शित करता है।

सहायक रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि इंदिरा आवास योजना के 1906552/-रू0, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 53383271.30/-रू0, कल्याण मद में 4883700/-रू0, बी0आर0जी0एफ0 मद में 1594996/-रू0, 13वाँ वित्त आयोग (पंचायत समिति) मद में 4867910/-रू0 एकादश वित्त मद में 426225/-रू0 अवशेष है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकारी योजनाओं की राशि का व्यय समयानुसार विकास कार्यों में नहीं किया गया है। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी रोकड़ पंजी से संबंधित सभी

बिन्दुओं की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच कर समन्तव्य अपना जाँच प्रतिवेदन एक पक्ष में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड–सह–अंचल, सदर)

सहायक रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आना कि मनरेगा मद में 621000/–रू0 की राशि अभी भी अन्तशेष स्वरूप अंकित है, खेदजनक एवं जाँच का विषय है। विदित हो कि उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी अभिहीत किए गए हैं, तो किस परिस्थिति में प्रखंड कार्यालय में संधारित सहायक रोकड़ पंजी में उक्त मद की राशि अभी तक अन्तशेष है? इस हेतु वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड–सह–अंचल, सदर को निदेश दिया जाता है कि सहायक रोकड़ पंजी में अन्तशेष स्वरूप रखी मनरेगा मद की राशि की जाँच गहनता से करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त, मुंगेर भी इस आशय की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच अपने स्तर से करते हुए मन्तव्यभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त, मुंगेर/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड–सह–अंचल, सदर)

<u>इंदिरा आवास योजना :–</u> औचक निरीक्षण के दौरान तारापुर दियारा पंचायत के इंदिरा आवास के संधारित अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। इसके बावजूद कुल 03 लाभुक, जिनके क्रमांक को छोड़कर आगे के क्रमांक वाले लाभुक को इंदिरा आवास का लाभ दिए जाने की पृच्छा पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर द्वारा बताया गया कि सत्यापन के क्रम में उक्त तीनों लाभुकों को पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ दिए जाने की जानकारी प्रकाश में आने के फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची में अंकित उक्त तीनों लाभुकों को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। तत्पश्चात् नौवागढ़ी दक्षिणी पंचायत के अनुसूचित जाति की प्रतीक्षा सूची के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कई क्रमांकित लाभुकों को छोड़कर आगे के क्रमांक पर अंकित लाभुकों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है। विकास की मासिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निदेश के आलोक में प्रतीक्षा सूची के क्रम सं0 01 से लेकर वर्तमान क्रमांक तक इंदिरा आवास योजना का लाभ दिए गए लाभार्थियों के मध्य वैसे सभी लाभार्थियों, जिन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, की सूची कारण सहित उपलब्ध कराने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर को दिया गया। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त के संबंध में सम्यक जाँच कर एक पक्ष के अन्दर समन्तव्य प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सदर प्रखंड–सह–अंचल के वरीय पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर)

ह0/–

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक–24–17(3)/14–1964/गो0, दिनांक 17/07/2014

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड–सह– अंचल, सदर/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर/अंचलाधिकारी, सदर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.7.14

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।